निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-100/2017–18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीणा ले.प. एवं श्री ए.के. गुप्ता एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.11.2017 से 16.11.2017 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1) परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीया सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.02.2016 से 11.02.2016 तक श्री ए.एन. साहू लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 10/2013 से 03/2015 तक एवं व्यय हेतु माह 10/2013 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 10/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** –जिला उत्तरकाशी
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व ¼: **yk[k esa½**
2014-15	2488.71
2015-16	3037.40
2016-17	2901.99

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	-	-	5514000	5266284	-	247716
2015-16	-	-	-	--	5746000	5515715	-	230285

2016-17	-	-	-	-	6892000	6316628	-	575312

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई --ए---श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

आबकारी सचिव> आबकारी आयुक्त >अपर आबकारी आयुक्त> संयुक्त आबकारी आयुक्त > उप आबकारी आयुक्त > सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी > आबकारी अधिकारी निरीक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन** :-

राजस्वः माह 04/2015 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 04/2015 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-01 अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयावधि मे आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने के बावजूद लाईसेंस फीस जब्त न किया जाना ₹194.13 लाख।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 159/XXIII/2015/04(01) 2015 TC देहरादून दिनांक 31 मार्च 2015 एवं 118/XXIII/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 हेतु नियम 18(3) मे यह प्रावधान किया गया है कि दुकान आंवटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत नही करता है तो इस दशा मे अनुज्ञापी को आंवटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise (settlement of licenses for retail sale country /foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वत: निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष मे जब्त कर दिया जायेगा।

यदि आवेदक के पास पैन नम्बर नही हो, तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 मे जनपद के अनुज्ञापियों द्वारा आवश्यक सभी/पूर्ण अभिलेख आबकारी नीति के नियम-18 के अनुसार निश्चित समयावधि मे प्रस्तुत नही किए गये थे (सूची संलग्न)। अत: विदेशी मदिरा की लाईसेंस फीस □**19413000** जब्त कर लाईसेन्स निरस्त किया जाना अपेक्षित था एवं इसके अतिरिक्त 20 दिन के अन्दर अन्य जमा राजस्व भी जब्त किया जाना अपेक्षित था। परन्तु विभाग द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर राजस्व जब्त की कार्यवाही नही की गयी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि राजस्व हित में दुकानों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया से होता है, आवंटी को आवंटन के समय ही यथासमय आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने को निर्देशित किया जाता है किन्तु कुछ व्यावहारिक कारणों से हैसियत प्रमाण पत्रों एवं चरित्र प्रमाण पत्रों को जमा करने में विलम्ब हो जाता है। इन्ही तत्कालीन कारणों से उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा न करने के एवज में दुकान का आवंटन निरस्त किया जाना अव्यवहारिक है जिससे राजस्व हानि हो सकती है। इस संबंध में भविष्य में दिशा निर्देश जिलाधिकारी के माध्यम से शासन से प्राप्त किए जाएंगे।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार उक्त अनुज्ञापियों की लाइसेन्स निरस्त कर राजस्व जब्त की कार्यवाही आरोपित थी।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों एवं शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	दुकान आवंटन की तिथि व वर्ष	दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दस्तावेज़	दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का दिनांक	लाइसेन्स फीस
1	नालूपानी/रातलधर	श्री पूरण सिंह	15.04.2015 वर्ष 2015-16	05.05.2015	हैसियत प्रमाण पत्र	24.06.2015	12000
2	राजगढ़ी	श्री नरदेव सिंह	15.04.2015 वर्ष 2015-16	05.05.2015	हैसियत प्रमाण पत्र	29.05.2015	12000
					निवास प्रमाण पत्र	01.06.2015	
3	आराकोट	दीपिका नौटियाल	15.04.2015 वर्ष 2015-16	05.05.2015	बैंक गारंटी	20.05.2015	12000
4	नैटवाड	श्रीमती कमलेश्वरी देवी	15.04.2015 वर्ष 2015-16	05.05.2015	निवास प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र	08.05.2015	21000
5	बनचौरा	श्रीमती जलमी देवी	15.04.2015 वर्ष 2015-16	05.05.2015	हैसियत प्रमाण पत्र	22.05.2015	64000
					निवास प्रमाण पत्र	06.05.2015	
6	डुण्डा	श्री अमर सिंह	15.04.2015 वर्ष 2015-16	05.05.2015	हैसियत प्रमाण पत्र	06.05.2015	103000
					निवास प्रमाण पत्र	07.05.2015	
7	ब्रह्मखाल	श्री मनोज सिंह	16.04.2015 वर्ष 2015-16	06.05.2015	चरित्र प्रमाण पत्र	08.09.2015	126000
8	भटवाड़ी	श्री वासुदेव सिंह	09.04.2015 वर्ष 2015-16	29.04.2015	हैसियत प्रमाण पत्र	06.05.2015	132000
9	डुण्डा	श्री विजेंद्र सिंह	21.03.2016, वर्ष 2016-17	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	31.05.2016	1014000
					हैसियत प्रमाण पत्र	31.05.2016	
10	पुरोला	श्री काशी सिंह	21.03.2016, वर्ष 2016-	10.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	13.05.2016	1315000

			17				
11	नौगाँव	श्री जुबलदास	26.03.2016 , वर्ष 2016-17	15.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	09.06.2016	1371000
12	आराकोट	श्री कृष्ण सिंह	21.03.2016 , वर्ष 2016-17	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	28.05.2016	105000
13	राजगढ़ी	श्री किताब सिंह	21.03.2016 , वर्ष 2016-17	10.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	01.06.2016	113000
14	डामटा	श्री रोशन लाल	21.03.2016 , वर्ष 2016-17	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	18.05.2016	116000
15	भवानीपुर	श्री धर्मानंद भट्ट	21.03.2016 , वर्ष 2016-17	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	18.05.2016	113000
16	धौंतरी	श्री मुरारी लाल	21.03.2016 , वर्ष 2016-17	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	18.05.2016	791000
17	बनचौरा	श्री शूरवीर सिंह पँवार	21.03.2016 , वर्ष 2016-17	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	18.06.2016	553000
					हैसियत प्रमाण पत्र	29.06.2016	
18	नैटवाड	श्री तोतालाल	21.03.2016 , वर्ष 2016-17	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	18.05.2016	244000
19	उत्तरकाशी	श्री नरेश भण्डारी	26.03.2016 , वर्ष 2016-17	15.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	11.05.2016	6423000
					चरित्र प्रमाण पत्र	27.04.2016	
20	बड़कोट	श्री गोपाल मणी	21.03.2016 , वर्ष 2016-17	10.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	25.04.2016	2530000
					चरित्र प्रमाण पत्र	02.05.2016	
21	भटवाड़ी	श्री मंगल सिंह	21.03.2016 , वर्ष 2016-17	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	25.04.2016	1129000
					हैसियत प्रमाण पत्र	29.04.2016	
22	जोशियाड़ा	श्री जयेन्द्र सिंह	21.03.2016 , वर्ष 2016-17	10.04.2016	हैसियत प्रमाण पत्र	24.04.2016	396000
23	मौरी	श्री गजेंद्र सिंह	21.03.2016 , वर्ष 2016-17	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	05.05.2016	331000

24	चिन्यालीसौड़	श्री रघुनन्दन नौटियाल	21.03.2016, वर्ष 2016-17	10.04.2016	चरित्र प्रमाण पत्र	02.05.2016	2387000
योग							**19413000**

भाग 2 ख

प्रस्तर-01 बैंक गारण्टी पर निर्धारित दर से कम स्टाम्प शुल्क लिया जाने के कारण राजस्व क्षति ☐₹0.50 लाख।

इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 33 के अनुसार विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यो के सम्पादन मे कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय मे स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नही है, उसे जब्त करेगा।

पुन: अनुसूची एक ख-12–क के अनुसार बैंक गारण्टी पर स्टाम्प शुल्क प्रत्येक ₹ 1000/- या उसके भाग के लिये पांच रुपये परन्तु शुल्क ₹10000/- से अधिक नही होगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी के विदेशी मदिरा के फुटकर लाइसेन्सियों की पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार लाइसेन्स धारक द्वारा वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में जो बैक गारण्टी जमा की गयी थी उस पर स्टाम्प शुल्क ₹50400 कम अदा किया गया है।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संबन्धित अनुज्ञापियों से स्टाम्प की वसूली करके आपके कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा।
अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	दुकान का नाम	अनुज्ञापी का नाम	बैंक गारंटी की धनराशि ₹ में	बैंक का नाम	देय स्टाम्प शुल्क ₹ में	दिया गया स्टाम्प शुल्क ₹ में	कम अदा स्टाम्प शुल्क ₹ में
1	उत्तरकाशी	श्री पूरण सिंह	6309151	दि नैनीताल बैंक लिमिटेड	10000	-	10000
2	चिन्यालीसौड़	श्री अतर सिंह	2377000	उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को-ओपरेटिवे बैंक लिमिटेड	10000	-	10000
3	बड़कोट	श्री बलदेव सिंह	2328340	कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड	10000	100	9900
4	पुरोला	श्री चित्रमोहन सिंह	1106090	दि नैनीताल बैंक लिमिटेड	5540	-	5540
5	धौंतरी	श्री प्रवीण सिंह	658952	अर्बन को-ओपरेटिवे बैंक लिमिटेड	3300	100	3200
6	मौरी	श्री उम्मेद सिंह परमार	287000	उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	1440	-	1440
7	भवानीपुर	श्री कुशार सिंह	103500	कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड	520	100	420
8	बड़कोट	श्री गोपाल मणी नौटियाल	2424400	कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक लिमिटेड	10000	100	9900
योग					**50800**	400	**50400**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
10/2012-13	01,02	01,02,03,04	01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**
(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य – टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों

का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री राजेन्द्र लाल	जिला आबकारी अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र